

न्यायालय:- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गढ़वा।
विविध वाद सं - 326/2020 धारा 107 दं0प्र0सं0

बनाम राजेश पाठक पति

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गयी कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

आदेश

यह अभिलेख आज लोक अदालत/ राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित किया गया। इस वाद की प्रक्रिया दिनांक..... 24/06/2019.....को कायम होने की तिथि से विपक्षीगण आजतक लगातार अनुपस्थित है। प्रथम पक्ष राज्य पक्ष है और राज्य पक्ष की ओर से प्रक्रिया कायम होने की तिथि से अबतक उक्त शिकायत के आलोक में पुनः कोई पैरवी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है, कि प्रथम पक्ष को विपक्षी से शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं रह गयी है। और न ही इस वाद में कोई अभिरुची है।


अतः प्रथम पक्षकार की अभिरुची एवं विपक्षीगण की अनुपस्थिति के अभाव में इस वाद की कार्यवाही लोक अदालत/राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त की जाती है तथा विपक्षी को इस वाद की दायित्व से मुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्यगण

01.



02.



03.

